>

Title: Need to include Gowara and Gowari castes of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra in the list of Scheduled Tribes.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मैं यहां से बोलूं?

सभापति महोदय : हां-हां, बोलिये। आप आगे आ जाइये, आगे से बोलिये।

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, मैं पहली बार ही आगे आया हूं।

सभापति महोदय : हम तो चाहते हैं कि आप और आगे आयें।

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, देश में मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, छिन्दवाड़ा, मंडला इत्यादि जिलों में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुन्द जिलों में तथा महाराष्ट्र के भण्डारा, गोंदिया, नागपुर, रामटेक इत्यादि जिलों में गोवारा, गोवारी, ग्वाला और गवली जाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। ये लोग प्रतिदिन मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं। इस जाति के लोग प्रायः गरीबी रेखा के नीचे हैं और समाज के सम्पन्न लोगों के यहां घरेलू कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जिसके कारण इन में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। ये लोग भूमिहीन हैं।

आजादी के बाद से अभी तक इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस जाति के लोग अपनी मांग हेतु लगातार कई वर्षों से आन्दोलन करते आ रहे हैं। गोवारा, गोवारी, ग्वाला और गवली जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु नागपुर में विधान सभा के सामने कुछ वर्ष पूर्व 100 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण इन जातियों के लोगों में तीव्र आक्रोश है।

अतएव आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि गोवारा, गोवारी, ग्वाला एवं गवली जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। धन्यवाद।

सभापति महोदय :

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

कुमारी सरोज पाण्डेय,

श्री रमेश बैस और

श्री गणेश सिंह को श्री के.डी. देशमुख के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।